न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 05/2020 अपील/डूंगरपुर
पंजीयन दिनांक– 17.01.2020
निर्णय दिनांक– 20.08.2020

1. श्री हीरा पटेल पिता हक्सी पटेल, निवासी थाणा, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती हाकेर पटेल पत्नि हीरा पटेल, निवासी थाणा, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री कांतिलाल पटेल पिता देवजी पटेल, निवासी थाणा, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्री लालशंकर पटेल पिता देवजी पटेल, निवासी थाणा, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (राज.)
3. पटवारी पटवार मण्डल थाणा, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :
श्री लोकेश गहलोत : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री मनीष शर्मा : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट (रेस्पो. संख्या 1 व 2)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956 विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 01/2018 निर्णय दिनांक 29.05.2019 कांतिलाल वगैराह बनाम हीरा एवं प्रकरण संख्या 08/2019 दिनांक 11.12.2019 हीरा वगैराह बनाम कांतिलाल

निर्णय

दिनांक–20.08.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर

डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 01/2018 एवं 08/2019 निर्णय दिनांक 29.05.2019 एवं दिनांक 11.12.2019 के विरूद्ध दिनांक 17.01.2020 को मय प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य बकौल अपीलांट इस प्रकार है कि ग्राम थाणा की बिलानाम आराजी संख्या 2787 में जरिये मिसल संख्या 139/2008 दिनांक 08.01.2020 को रकबा 10 बिस्वा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ हाल अपीलांट श्री हीरा एवं श्रीमती हाकेर को संयुक्त रूपेण आवंटित की गई थी, जिसका नवीन बटा नम्बर 4327/2787 कायम हुआ है। उक्त आवंटन सडक मार्गाधिकार की भूमि होने से तथा इस आवंटन के पिछे हाल रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 श्री कांतिलाल एवं लालशंकर की भूमि स्थित होने से उनके द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर में प्रस्तुत किया गया था जो क्रमांक 01/2018 पर दर्ज किया जाकर तहसीलदार एंव लोक निमार्ण विभाग की रिपोर्ट पर उक्त प्ररकण में निर्णय दिनांक 29.05.2019 से आवंटन निरस्त किया गया। तत्पश्चात अपीलांट श्री हीरा द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2019 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2019 दर्ज कर निर्णय दिनांक 11.12.2019 से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर पूर्व निर्णय दिनांक 29.05.2019 से किये गये निर्णय को यथावत रखे जाने से असंतुष्ठ होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है। ***अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2018 में निम्न निर्णय पारित किया है कि उभय पक्षकारान के योग्य अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन करते हुए पत्रावली, इसमे संलग्न प्राप्त रिपोर्ट्स एवं कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को ग्राम थाणा की बिलानाम आराजी संख्या 2787 में से रकबा 10 बिस्वा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन वर्ष 2008 में हुआ है, जिसका नवीन आराजी संख्या 4327/2787 कायम होकर गैर खातेदार के तौर पर दर्ज रेकार्ड है। तहसीलदार, डूंगरपुर की रिपोर्ट क्रमांक 529 दिनांक 27.03.2018 का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार विवादित खसरा संख्या 4327/2787 रकबा 10 बिस्वा ग्राम थाणा में थाणा–मेवाड मार्ग पर स्थित होकर श्री हीरा एवं हाकेर पटेल के नाम गैर खातेदारी***

के रूप में दर्ज है। रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार उक्त खसरा संख्या 4327/2787 का मेवाडा तरफ वाला कोना प्रथम छोर थाणा मेवाडा सड़क के मध्य से 12 मीटर (40 फीट) दूरी पर तथा अंतिम छोर 24 मीटर (79 फीट) दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार थाणा तरफ वाला प्रथम कोना छोर थाना–मेवाडा सड़क मध्य से 22 मीटर (72 फीट) तथा अंतिम छोर 36 मीटर (118 मीटर) दूरी पर स्थित है। अधीशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण खण्ड, डूंगरपुर के पत्र क्रमांक 130 दिनांक 09.04.2018 के अनुसार थाणा–मेवाडा श्रेणी वर्ष 2008 में ओडीआर अन्य जिला सड़क होकर करिज–वे की चौडाई 3–00 मीटर एवं फोरमेशन चौडाई 7.50 मीटर थी, जिसकी चौडाई बढाने का कार्य वर्ष 2014–15 में किया जाकर इसका केरिज–वे 7.00 मीटर एवं फोरमेशन चौडाई 12 मीटर होकर सडक ओडीआर–01 अन्य जिला सड़क है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की रिपोर्ट में मात्र सड़क चौडाई का ही वर्णन किया गया है तथा इससे रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 को किया गया आवंटन का समर्थन नही होता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत पेनाल्टी रसीद की छाया प्रतियां से आवंटित भूमि पर कब्जा प्रमाणित नही होता है चूंकि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को इस आराजी में अन्य भूमियां भी आवंटित हुई है। आराजी भूमि 2787 का रकबा बडा है जिससे विपक्षी ने किस भूमि की पेनाल्टी जमा करायी है यह प्रमाणित नही होता है। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम–4 में आवंटन हेतु अनुपलब्ध भूमि का वर्णन है, जिसके बिन्दु (V) *(च) में किसी राजपथ अथवा पक्की या कंकरीट सड़क के मध्य से दोनों ओर 50 पचास गज की दूरी के भीतर स्थित भूमियों का अंकन है अर्थात् किसी पक्की या कंकरीट सड़क के मध्य से 150 फीट के भीतर स्थित भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया जाना नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है। रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 को आवंटित संपूर्ण भूमि थाणा–मेवाडा अन्य जिला सड़क के मध्य से 50 गज अर्थात् 150 फीट के भीतर की भूमि है, जिससे यह आवंटन नियमों के विपरीत किया गया आवंटन है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र अनुसार आवंटन वर्ष 2008 में थाणा–मेवाड सड़क आडीआर अन्य जिला सड़क की श्रेणी की सड़क होना प्रमाणित है। ओडीआर अन्य जिला सड़क पक्की सड़क होती है। कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियमों में पक्की/कंकरीट सड़क मध्य से 50 गज अर्थात् 150 फीट के भीतर*

स्थित भूमियां आवंटन हेतु प्रतिबंधित है तथा ऐसी भूमियों का आवंटन किया जाना अथवा ऐसी भूमियों के आवंटन को यथावत रखा जाने से भविष्य में सड़क की चौडाई के कार्य में जहां बाधा उत्पन्न होगी वही इसके मुआवजे का भी भुगतान करना पडेगा जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान होगा। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को किया गया उक्त आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के विपरीत होकर यह आवंटन जरिये फ्रॉड एवं मिसरिप्रजेंटेशन के होने से इसका समर्थन किया जाना न्यायोचित एंव विधि सम्मत नही है।

उक्त उपरोक्त विवेचना अनुसार अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पम ग्राम थाणा की आराजी संख्या 2787 मीसल संख्या 139/2008 दिनांक 08.01.2008 के कृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन रकबा 10 बिस्वा भूमि जिसका नवीन बटा नम्बर 4327/2787 कायम हुआ है का आवंटन निरस्त किया जाता है एवं आवंटित भूमि को पूर्ववत बिलानाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार, डूंगरपुर को लिखा जावें।

इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 08/2019 में निम्न निर्णय पारित किया है कि उभय पक्षों की बहस पर मनन करते हुए न्यायिक नजिर का ससम्मान पठन किया गया। न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 01/2018 में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2019 एवं पत्रावली का अध्योपरांत अवलोकन किया गया।

न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 01/2018 में पक्षकारगणों को अपने साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आवंटिगण के प्रार्थना पत्र पर आवंटित भूमि की मौका रिपोर्ट तलब की गई है एवं रोड़ बाबत लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट संलग्न है। आवंटित भूमि का मौका निरीक्षण प्रार्थी एवं विपक्षी तथा मौतबिरान की उपस्थिति में किया गया है, जिस पर हस्ताक्षर है। इस रिपोर्ट पर न्यायालय के प्रकरण संख्या 01/2018 में किसी प्रकार की आपत्ति नही की गई है। न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 29.05.2019 रेकार्ड, मौका एवं आवंटन नियमों की विस्तृत व्याख्या करते हुए पारित किया गया है, जिसको देखने से रेकार्ड आमुख पर कोई प्रत्यक्ष त्रुटि होना (error apparent on the face of record)*नही पाया जाता है। पुनर्विलोकन*

(Review) *का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। मेरा यह भी मानना है कि निर्णय त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में भी नजरसानी का आधार नही हो सकता है।* (Judgment may be erroneous but can not be a ground of review) *अतः उपरोक्त विवेचनानुसार न्यायालय हाजा (न्यायालय जिला कलेक्टर, डूंगरपुर) द्वारा अपने प्रकरण संख्या 01/2018 श्री कांतिलाल वगैरा बनाम श्री हीरा वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2019 में किसी प्रकार की रेकार्ड आमुख पर प्रत्यक्ष त्रुटि* (error apparent on the face of record) *होना नही पाने के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत् पुनर्विलोकन* (Review) *सारहीन होने से खारीज (निरस्त) किया जाता है।*

उक्त आवंटन निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश गहलोत उपस्थित व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा व राजकीय अभिभाषक उपस्थित रहै। उभयपक्ष की बहस दिनांक 05.08.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि तहसील डूंगरपुर के राजस्व ग्राम मौजा थाणा में खसरा नम्बर 4327/2787 रकबा 10 बिस्वा जमीन अपीलार्थीगण को संयुक्त रूपेण कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी, जो आराजी संख्या 2787 जरिये मिसल संख्या 139/2008 दिनांक 08.01.2008 को आवंटित हो राजस्व रेकार्ड दर्ज की गई। तब से लगातार वर्तमान तक उक्त जमीन पर अपीलांट्स का कब्जा है। अपीलांट्स को जमीन का आवंटन 08.01.2008 को हुआ है। रेस्पोडेंट्स ने दस वर्ष गुजरने के बाद दिनांक 17.01.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही हेतु आवेदन अपील प्रस्तुत की जो समयावधि के बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 01/2018 में पर्चा मौका रिपोर्ट एक ही समय एवं रिपोर्ट को आधार बनाकर तैयार की गई है। जमीन का मापन एवं सीमाज्ञान हेतु सेटलमेंटी (पैमाईशी) खसरा नम्बर 3112 व 3126 के मध्य की पाली को मुस्तकिल बिन्दु मानते हुए है।

जमीन के मालिकों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच इस पाली की स्थिति बाबत विवाद विगत बीस वर्षो से चल रहा है। अपीलांट्स ने पुनः मौका रिपोर्ट सही, निष्पक्ष, ईमानदारीपूर्वक करवाने, मंगवाने में लिखित निवेदन हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण संख्या 08/2018 रिव्यू पीटीशन में लिखित निवेदन किया मगर प्रार्थना पत्र पर कोई लिखित आदेश नही दिया गया। तत्कालीन पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार के खिलाफ अपीलांट्स का अन्य आपराधिक प्रकरण थाना कोतवाली, डूंरगपुर में अन्वेषण में विचाराधीन रहा है, जो कर्मचारिगण अपीलांट्स से प्रतिशोध की भावना रखते है। पर्चा मौका रिपोर्ट प्रतिशोध की भावना से गलत प्रस्तुत की है, जो वास्तविक मौका स्थिति से भिन्न है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 01/2018 निर्णय दिनांक 29.05.2019 तथा प्रकरण संख्या 08/2019 निर्णय दिनांक 11.12.2019 प्राकृतिक न्यायसिद्धांतों लिमिटेशन के प्रावधानों, डाक्टराईन ऑफ इस्टोपल का उल्लघंन हो विपरीत है। इसलिए काबिले निरस्त है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया कि माननीय न्यायालयों ने अपने निर्णयों में यह माना है कि न्यायालय मात्र ऐसे निर्णय का पुनर्विलोकन करेगा जिसमें रेकार्ड के आमुख पर प्रत्यक्ष त्रुटी हो। (Error apparent on face of record) इस प्रकरण में रेकार्ड आमुख पर ऐसी कोई त्रुटी नही हुई है, जिससे कि पुनर्विलोकन के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। प्रकरण में वर्णित अन्य तथ्यों का कोई संबंध नही है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया। अपीलांट्स की अपील दो पृथक–पृथक निर्णयों के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की है, जिसमें से Review की तो पोषणीय ही नही है तथा मूल आदेश की अपील अवधि बाधित है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः 1999 RBJ Page 292 तथा 2010 RBJ Page 289 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अविधिक व पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाए।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलांट

द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के मूल आवंटन निरस्तीकरण प्रकरण 01/2018 निर्णय दिनांक 29.05.2019 व उक्त आदेश के (Review) प्रकरण संख्या 08/2019 निर्णय दिनांक 11.12.2019 के निर्णय अर्थात मूल प्रकरण 01/2018 व (Review) प्ररकण 08/2019 दोनो के विरूद्ध एक साथ पेश की है। प्रकरण में आदेश 47 नियम 7 जा. दी. के तहत (Review) प्रकरणों के खारिज किये जाने के आदेशों के विरूद्ध अपील विधिक रूप से पोषणीय नही है अतएव अधीनस्थ न्यायालय के (Review) प्रकरण संख्या 08/2019 निर्णय दिनांक 11.12.2019 के विरूद्ध अपील पोषणीय एवं विधिक नही होने से खारिज की जाती है।

प्ररकण में यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के 02 मूल प्रकरण एवं (Review) खारिजी दोनो आदेशों के विरूद्ध अपीलांट द्वारा एक साथ पृथक–पृथक आदेशों के विरूद्ध एक ही अपील पेश की है जो विधिक रूप से उचित नही है फिर भी हम अधीनस्थ न्यायालय के मूल प्रकरण संख्या 01/2018 निर्णय दिनांक 29.05.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 17.01.2020 को करीब 5½ माह विलम्ब से पेश की गई अपील में पेशशुदा दफा 5 जाप्ता मयाद के आवेदन पर विचार करना उचित समझते है। अपीलांट द्वारा उक्त आवेदन में यह कथन किया है कि उसने (Review) पेश किया था इसलिए मूल निर्णय की अपील नही की जा सकी। प्रकरण में मूल प्रकरण संख्या 01/2018 दिनांक 29.05.2019 की जानकारी उस निर्णय दिनांक से ही होना स्पष्ट है परन्तु 5½ माह के विलम्ब के लिए उसने जो आधार वर्णित किया है वह उचित एवं पर्याप्त नही है, क्योंकि यदि मूल प्रकरण की जानकारी निर्णय दिनांक से होने पर भी वह यदि मूल प्रकरण की अपील करने के स्थान पर (Review) का विधिक उपचार हेतु कार्यवाही करते है तो उन्हें फिर मूल प्रकरण की अपील में (Review) को आधार नही बनाना चाहिए अपितु जिस विधिक उपचार को उन्होने स्वेच्छापूर्वक वरण किया है उसी प्ररकण को चुनौती देने के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। उपरोक्तानुसार मूल प्ररकण संख्या 01/2018 निर्णय दिनांक 29.05.2019 की अपील अवधि मयाद बाधित है जेसा कि रेस्पोडेंट द्वारा पेशशुदा न्यायिक नजीर 1999 RBJ Page 292 तथा 2010 RBJ Page 289 से भी समर्थित है।

उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा 2 पृथक–पृथक प्रकरणों की जो अपील एक साथ इस न्यायालय में प्रकरण संख्या

05/2020 के तहत पेश की है, वह विधिक रूप से उचित नही है तथा (Review) प्रकरण 08/2019 की अपील विधि विरूद्ध होने से तथा मूल प्रकरण संख्या 01/2018 की अपील अवधि मयाद बाधित होने से खारिज की जाती है। अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखे जाते है।

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल0एन0मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर